

पत्रांक -28/डा. से. -18/2010 खण्ड -1

2356

4/12/13

बिहार सरकार
वित्त विभाग

विष्णु पदाठ (श्री संदीप कुमार)

प्रेषक,

संजीव हंस,
सचिव (व्यय)।

उपमहालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय :- सहायक अनुदान मद में दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में।

सहायक अनुदान मद में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किए जाने से संबंधित वित्त विभागीय पत्रांक 11946 दिनांक 27.11.2013 में बिहार कोषागार संहिता 2011 की नियम 84 के तहत अपने तरफ से विपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु कार्यालय प्रधान/प्रधान सचिव/सचिव विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत करने हेतु पत्र निर्गत किया गया था। उक्त प्रावधान कोषागार से राशि निकासी से संबंधित है इसलिए उपरोक्त पत्र में निम्नांकित संशोधन किया जाता है।

“ बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अधीनस्थ किसी राजपत्रित पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं ”।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकार कर राशि को सामंजस्य करने की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजीव हंस)

सचिव (व्यय)।

11978

28.11.13

ज्ञापक : / दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी

जिला पदाधिकारी/सभी उष विकास आयुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/13

(संजीव हंस)

सचिव (व्यय)।

2013
05/12/13